न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 43/2023 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2023/47**

1. पंकज शर्मा पुत्र श्री जनक राज शर्मा निवासी वार्ड नं. 15 पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेअ ऑफ राजस्थान जरिये तहसील (राजस्व) श्रीगंगानगर।
2. श्रीमती निशा पुत्री श्री जनकराज पत्नी नरेश कपूरिया जाति बाह्मण निवासी 3/22 हाऊसिंग बोर्ड श्रीगंगानगर।
3. श्रीमती रेणु शर्मा पुत्री जनकराज पत्नी श्री अश्वनी शर्मा निवासी 8–ए–26, जवाहर नगर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. श्रीमती इन्दु भार्गव शर्मा पुत्री श्री जनकराज पत्नी श्री राजीव भार्गव निवासी 80/134 पटेल मार्ग, मानसरोवर जयपुर।
5. श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी स्व. जनकराज शर्मा वार्ड नं. 15, पुरानी आबादी श्रीगगानगर।

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री सत्यपाल सहू एवं सुभाष सहू अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेश मोहता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट नं. 2 व 4

निर्णय

दिनांक 27.08.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 19.04.2023 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 27/24 में मु.नं. 21 के किला नंबर 24/1 में तादादी 0.0250 हैक्टेयर, मु.नं. 23 के कि.नं. 4 में तादादी 0.2530 हैक्टयर, कि.नं. 5/1 तादादी 0.1260 हैक्टयर, कि.नं. 7 तादादी 0.253 हैक्टयर, कि.नं. 14/3 तादादी 0.060 हैक्टयर, कि.नं. 15/2 तादादी 0.0410 हैक्टयर, कुल तादादी 0.7560 हैक्टयर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि अपीलांट के पिता श्रीजनकराज शर्मा द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा द्वारा खरीदशुदा भूमि है जिसकी पंजीकृत वसीयत दिनांक 10.06.2011 को बहक अपीलांट पंकज शर्मा के पक्ष की गई है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

नामान्तरणकरण तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के नामान्तरणकरण संख्या 802 दिनांक 12.03.2018 राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम से भूमि दर्ज कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर ने अपीलांट के पक्ष में दर्ज नामान्तरणकरण संख्या 802 दिनांक 12.03.2018 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 03.08.2011 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री सत्यपाल सहू ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त कृषि भूमि अपीलांट के पिता श्रीजनकराज शर्मा द्वारा जरिए पंजीकृत बैयनामा द्वारा खरीदशुदा भूमि है जिसकी पंजीकृत वसीयत दिनांक 10.06.2011 को बहक अपीलांट पंकज शर्मा के पक्ष की गई है। पंजीकृत वसीयत के आधार पर उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का नामान्तरणकरण तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर के नामान्तरणकरण संख्या 802 दिनांक 12.03.2018 राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांट के नाम से भूमि दर्ज कर दी गई। उक्त नामान्तरकरण संख्या 802 दर्ज करने से पूर्व तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 02.01.2018 को दैनिक अखबार में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि तहसीलदार श्रीगंगानगर ने अखबार में सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया है परन्तु वसीयतकर्ता के जायज वारिसान को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित नहीं किया गया हैं। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दैनिक अखबार में प्रकाशित सार्वजनिक नोटिस को सार्वजनिक नोटिस नही मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। नामांतरकरण मात्र फिसीकल प्रोसिडिंग है अधिकारो का निर्धारण घोषणात्मक वाद प्रस्तुत करके ही किया जा सकता है। उक्त भूमि स्वअर्जित भूमि है जिसकी वसीयत की गई हैं। अपीलांट की वसीयत की जांच हेतु जिला न्यायाधीश श्रीगंगानगर के समक्ष घोषणात्मक वाद संख्या 2/2021 दिनांक 21.12.2020 प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें अधिकारों की घोषणा की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने सिविल वाद जैरकार होते हुए भी अधिकारों से बाहर जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपीलाधीन आदेश गलत एवं गैर कानूनी होने के कारण किसी भी स्थिति में कायम नहीं रखा जा सकता है अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर के अपीलाधीन उक्त आदेश दिनांक 19.04.2023 निरस्त फरमाया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री सुरेश मोहता अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि की वसीयत अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 के पिता द्वारा कभी भी अपनी स्वेच्छा से कोई वसीयत नही की वल्कि अपीलांट द्वारा उनके अस्वस्थ होने व स्मरण शाक्ति कमजोर होने का लाभ उठाते हुए तथाकथित वसीयत तैयार की जिसमें अपीलांट ने अपने परिचित व्यक्तियों को बतौर साक्षी बनाया जाकर, उप पंजीयक कार्यालय के कार्मिकों

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

से मिलीभगत कर वसीयत को पंजीयन करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीगंगानगर ने बिना रजिस्टर्ड नोटिस रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 5 को प्रेषित किए बिना नियमानुसार प्रोसेस अपनाए नामांतरकरण दर्ज किया हैं। जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत नामांतरकरण दर्ज किया है। अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 के नाम एवं पत्तों की पूर्ण जानकारी थी तथा उनके सही पत्तों पर सूचना भिजवाई जा सकती थी, अगर सूचना भिजवाई जाती तो रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते थे। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने ऐसा नही करके अपीलांट से मिलीभगत करके आदेश दिनांक 22.02.2018 को परित कर कानूनी भूल की हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय अतिकित जिला कलक्टर(प्रशासन), श्रीगंगानगर ने तहसीलदार श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 2202. 2018 की पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 802 को निरस्त कर कोई त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.04.2023 पारित करते हुए तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इंतकाल दर्ज करने के आदेश दिनांक 22.02.2018 की पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 802 निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 22.02.2018 वसीयत के आधार पर पारित किया गया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा अपीलाधीन वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 4 द्वारा उक्त अपील के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। ऐसी स्थिति में जब तक अपीलाधीन वसीयत को किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है, तब तक उक्त वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल दर्ज करने के आदेश को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन) श्रीगंगानगर निर्णय दिनांक 19.04.2023 को निरस्त किया जाता

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 27.08.2025 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर